सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **248 / 2018** दायर दिनाँक **09.07.2018**

वादी		प्रतिवादी
1. आसाराम पुत्र रामकुवार उर्फ रामलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना 2. जयकिशन पुत्र रामकुवार उर्फ रामलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना 3. नारायण पुत्र चुन्नीलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना 4. गोविन्दलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तिलोकचन्द पुत्र राधाकिशन 2. हनुमान पुत्र राधाकिशन 3. मदनलाल पुत्र राधाकिशन 4. रामनिवास पुत्र राधाकिशन 5. पूनमचन्द पुत्र राधाकिशन 6. सीताराम पुत्र गीगाराम 7. शिवदान पुत्र कालूराम 8. मोहन पुत्र कालूराम 9. नारायण पुत्र कालूराम 10. गंगाराम पुत्र मालचन्द 11. ताराचन्द पुत्र मालचन्द 12. गोपाल पुत्र मालचन्द 13. जोराराम पुत्र मालचन्द 14. लक्ष्मीदेवी बेवा रामकुवांर उर्फ रामलाल समस्त जाति प्रजापत निवासीगण डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 15. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री ओमप्रकाश मोठ व श्री कमल किशोर मोठ वकील, वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **16.07.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण लगायत 01 ता 05 व 14 स्व0 जगनाथ प्रजापत के वारिशान है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है। वर्तमान खेत खसरा संख्या 1491 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा व खसरा संख्या 1492 रकबा 05 बिस्वा, खसरा सं0 1493 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा व खसरा सं0 1494 रकबा 10 बिस्वा तथा खसरा सं0 2533 रकबा 04 बिस्वा गै0मु0 ढाणी एवं खसरा सं0 2534 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना है। जिन खसरा नम्बरान की भूमि स्व0 जगनाथ जी के जीवनकाल में ही एवं उनके पुत्रगण स्व0 रामलाल जी, स्व0 चुन्नीलाल जी, स्व0 राधाकिशन जी काश्त करने लगे। जिनका जीवन प्रयत्न इन खसरा नम्बरान की भूमि पर कब्जा काश्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रहा। स्व0 रामलाल, स्व0 चुन्नीलाल व स्व0 राधाकिशन ने अपने कब्जा काश्त की इन खसरा नम्बरान की भूमि का आपसी सहमति से रिसेटलमेन्ट के पूर्व बंटवारा कर लिया जिसके मुताबिक खेत खसरा संख्या 1493 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा व गै0मु0 ढाणी खसरा सं0 1494 रकबा 10 बिस्वा स्व0 रामलाल जी के बंट में आई। इसी प्रकार से खेत खसरा सं0 2534 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा व गै0मु0 ढाणी खसरा सं0 2533 रकबा 04 बिस्वा स्व0 चुन्नीलाल जी के बंट में आई। खेत खसरा सं0 1491 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा व गै0मु0 ढाणी खसरा सं0 1492 रकबा 05 बिस्वा स्व0 राधाकिशन के बंट में आई। इन तीनों के फौत होने के बाद में इसी प्रकार से इनके वारिसान अलग अलग काबिज चले आ रहे है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमियों व ढाणियों में प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 13 का या इनके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त या दखल अंदाजी नहीं रहा। वक्त रिसेटलमेन्ट के सहवन से उक्त खसरा सं0 1493 व 1494 की खातेदारी बजाय रामलाल के, रामलाल, चुन्नीलाल पि0 जगनाथ एवं स्व0 कालू, मालू, सीताराम पि0 गीगाराम के नाम से एवं खसरा सं0 2533 व 2534 की खातेदारी बजाय चुन्नीलाल के रामुराम, राधाकिशन, चुना पि0 जगनाथ कालू–मालू–सीताराम पि0 गुगु के नाम से दर्ज हो गई जबकि राधाकिशन के बंट व कब्जे की भूमि खसरा सं0 1491 व 1492 की खातेदारी अकेले राधिकिशन के नाम से दर्ज हो गई।

वादीगण आसाराम व जयकिशन तथा प्रतिवादीनी लक्ष्मीदेवी, स्व0 रामकुवांर उर्फ रामलाल के वारिसान है जो कि खसरा सं0 1493 व 1494 पर काबिज है जिसमें अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से वादीगण नारायण व गोविन्दलाल स्व0 चुन्नीलाल के वारिसान है जो कि खसरा सं0 2533 व 2534 पर काबिज है जों कि इसी अनुरूप खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इन खसरा नम्बरान की खातेदारी से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 के नाम हटा करके रेकार्ड दुरूस्त किया जाना व वादीगण के नाम से उपरोक्त अनुसार पृथक–पृथक खातेदारी अमल दरामद की जाना न्यायोचित है। अतः यह दावा बाबत रेकार्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी के प्रस्तुत है।

वर्तमान में खसरा सं0 1493, 1494 व 2533, 2534 की खातेदारी वास्तविकता के विपरित दर्ज रहने से अब प्रतिवादीगण सं0 01 ता 05 की नियत में लालच पैदा होने से वे लोग कहने लगे है कि इनके खेतों में हमारे नाम भी दर्ज है। अतः हम संभावित भाग की भूमि पर कब्जा करेंगें या विक्रय करेगें। इससे वादीगण को अजहद नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नकदी से नहीं हो सकेगी। अतः वादीगण को यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 के नाम हटाये जाकर खसरा सं0 1493 व 1494 वाके डीडवाना की खातेदारी वादी सं0 01 व 02 आसाराम व जयकिशन के नाम से तथा खसरा सं0 2533 व 2534 की खातेदारी वादीगण नारायण व गोविन्दलाल के नाम से घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें तथा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 13 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वे भविष्य में इन खसरान की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 248/2018
दायर दिनॉक 09.07.2018, निर्णय दिनॉक 16.07.2018
आसाराम बनाम तिलोकचन्द वगैराह।

खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी आसाराम का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ तथा साक्ष्य वादी में अमराराम, गौरधन, नारायण, गोपीलाल, भंवरलाल, मोहनलाल, तुलछीराम, मांगीलाल के शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए।

दस्तावेजी साक्ष वादी में प्रदर्श–01 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065, प्रदर्श–02 जमाबन्दी संवत 2062–65, गिरदावरी संवत 2014, 2018 से संवत 2021 जो क्रमश प्रदर्श 3 से प्रदर्श 7 है तथा बिगोडियां जमा कराने की रसीदात जो क्रमशः प्रदर्श 8/1 से प्रदर्श 22/1 है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गयी। विद्वान वकील वादीगण की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादीगण का वाद डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा, डिक्री सादिर कर वाकै सरहद डीडवाना के खसरा संख्या 1493 व 1494 की खातेदारी वादीगण आसाराम व जयकिशन के नाम से तथा खसरा संख्या 2533 व 2534 की खातेदारी वादीगण नारायण व गोविन्दलाल के घोषित की जाती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 का नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान में से हटाये जाते है। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में दखल अन्दाजी हस्ताक्षेप न तो स्वयं करें तथा न किसी अन्य से करावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **16.07.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 240/2018 दायर दिनाँक 09.07.2018

वादी		प्रतिवादी
1. आसाराम पुत्र रामकुवार उर्फ रामलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना 2. जयकिशन पुत्र रामकुवार उर्फ रामलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना 3. नारायण पुत्र चुन्नीलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना 4. गोविन्दलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. तिलोकचन्द पुत्र राधाकिशन 2. हनुमान पुत्र राधाकिशन 3. मदनलाल पुत्र राधाकिशन 4. रामनिवास पुत्र राधाकिशन 5. पूनमचन्द पुत्र राधाकिशन 6. सीताराम पुत्र गीगाराम 7. शिवदान पुत्र कालूराम 8. मोहन पुत्र कालूराम 9. नारायण पुत्र कालूराम 10. गंगाराम पुत्र मालचन्द 11. ताराचन्द पुत्र मालचन्द 12. गोपाल पुत्र मालचन्द 13. जोराराम पुत्र मालचन्द 14. लक्ष्मीदेवी बेवा रामकुवांर उर्फ रामलाल समस्त जाति प्रजापत निवासीगण डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 15. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 188, R.T.Act.

दिनाँक 16.07.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश मोठ व श्री कमल किशोर मोठ वकील, वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा, डिक्री सादिर कर वाकै सरहद डीडवाना के खसरा संख्या 1493 व 1494 की खातेदारी वादीगण आसाराम व जयकिशन के नाम से तथा खसरा संख्या 2533 व 2534 की खातेदारी वादीगण नारायण व गोविन्दलाल के घोषित की जाती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 का नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान में से हटाये जाते है। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में दखल अन्दाजी हस्ताक्षेप न तो स्वयं करें तथा न किसी अन्य से करावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.07.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–248–2018 / रीडर / 2018 / 688 दिनाँक 19-7-18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादी
1. आसाराम पुत्र रामकुवार उर्फ रामलाल जाति प्रजापत निवासी डीडवाना वगैराह तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तिलोकचन्द पुत्र राधाकिशन जाति–प्रजापत निवासी–डीडवाना वगैराह तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner